भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-102
उत्तर देने की तारीख-28/07/2025

ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम

***102. श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:**
श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विशेषकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और संघ राज्यक्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में 'स्मार्ट क्लास रूम' शुरू करने के लिए कदम उठा रही है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और संघ राज्यक्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली सहित देश में ऐसी कक्षाएं शुरू करने में किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा है या कोई बाधाएँ चिह्नित की गई हैं; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसी कठिनाइयों और बाधाओं को कम करने/दूर करने के लिए क्या कार्य योजना प्रस्तावित है?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (घ): विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

******

माननीय संसद सदस्य श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे और श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर द्वारा 'ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम' के संबंध में दिनांक 28.07.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 102 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग वर्ष 2018-19 से स्कूल शिक्षा हेतु एक एकीकृत योजना - समग्र शिक्षा को लागू कर रहा है। यह एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसमें प्री-स्कूल से लेकर ग्रेड 12 तक निरंतरता के रूप में 'स्कूल' की परिकल्पना की गई है, तथा यह ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में चलाया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप समावेशी और समान गुणवत्तापरक शिक्षा सुनिश्चित करना है।

समग्र शिक्षा के स्मार्ट कक्षा घटक में कक्षा VI से XII तक के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल शामिल हैं। इस घटक के तहत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दादरा एवं नगर हवेली सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें इंटरैक्टिव डिजिटल बोर्ड/डिस्प्ले यूनिट, ऑपरेटिंग सिस्टम (ओएस), एलसीडी/एलईडी/प्लाज्मा स्क्रीन, प्रिंटर, स्कैनर, लैपटॉप/टैबलेट/डेस्कटॉप आदि शामिल हैं।

वित्तीय प्रावधान: स्मार्ट कक्षाओं (प्रति स्कूल 2 स्मार्ट कक्षाएं) के लिए गैर-आवर्ती अनुदान 2.40 लाख रुपये है और आवर्ती अनुदान 38000 रुपये (ई-कंटेंट और डिजिटल संसाधन, विद्युत शुल्क सहित) है।

प्रबंध पोर्टल के अनुसार, दिनांक 31.05.2025 तक देश भर में कुल 1,46,040 स्मार्ट कक्षाओं का अनुमोदन दिया गया है, जिनमें महाराष्ट्र राज्य में 5,155, मध्य प्रदेश राज्य में 9,531 और संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली में 192 शामिल हैं।

(ग) और (घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। केंद्र सरकार, वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी और बी) में उनके द्वारा बताई गई आवश्यकता के आधार पर, स्कूल शिक्षा के लिए केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के तहत स्मार्ट कक्षाओं सहित डिजिटल पहल घटक के लिए निधियां उपलब्ध कराती है। तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के लिए स्वतंत्र हैं।

स्मार्ट कक्षाओं जैसे डिजिटल मध्यवर्तनों का कार्यान्वयन करने में जिन प्रमुख चुनौतियों या सीमाओं का सामना करना पड़ रहा है, वे शिक्षकों की क्षमता निर्माण, अवसंरचना की स्थापना, निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी आदि हैं।

वर्ष 2025-26 के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की बैठकों में अनुमोदित यूडाइज़+ डेटा और निधियों के आधार पर, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को स्मार्ट कक्षाओं और अन्य घटकों से युक्त करने में अंतरों की पहचान की गई थी। इन अंतरों को दूर करने के लिए, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इन सुविधाओं से युक्त करने के लिए एक पूरक पीएबी आयोजित किया गया था।

भारत सरकार ने, बजट 2025 के एक भाग के रूप में, सुदूर क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना को बढ़ाने के लिए भारतनेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के प्रावधान की घोषणा की है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सलाह दी गई है कि वे विद्यार्थियों और शिक्षकों की मांगों को पूरा करने के लिए प्रत्येक जगह की मौजूदा स्थिति के आधार पर कार्य करें ताकि उन्हें डिजिटल रूप से शिक्षण-अधिगम के लिए आवश्यक डिजिटल पहुंच प्रदान की जा सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में डिजिटल अवसंरचना, ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफार्म और उपकरण, वर्चुअल प्रयोगशाला, डिजिटल रिपॉजिटरी, ऑनलाइन मूल्यांकन, ऑनलाइन शिक्षण-अधिगम के लिए प्रौद्योगिकी और शिक्षाशास्त्र आदि में निवेश आमंत्रित किया गया है, जिसके लिए विभिन्न मध्यवर्तन शुरू किए गए हैं। स्कूल शिक्षा के लिए, विद्यार्थियों, शिक्षकों और सभी हितधारकों के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों का एनईपी 2020 के अनुरूप सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए समग्र शिक्षा के तहत आवश्यक निधि तंत्र के साथ विस्तार किया गया है।

*****